रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 1972/श्रावण 17, 1894
No. 367] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 1972/SRAVANA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT
(Department of Cabinet Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August 2972

S.O. 530(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Ninety-sixth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", under sub-heading "D. DEPARTMENT OF REVENUE AND INSURANCE (RAJASWA AUR BIMA VIBHAG)", for entry 9, the following entry shall be substituted, namely:—

"9. All matters relating to Customs (Sea and Land) including the Indian Tariff Act, 1934, Tariff valuations, Customs Cooperation Council, Customs nomenclature and similar matters; duties on goods imported or exported; prohibitions and restrictions on imports and exports imposed in the interest of revenue; and interpretation of Customs Tariff."; and

(2) under the heading "MINISTRY OF FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR MANTRALAYA)", entries 31, 33 and 37 shall be omitted.

V. V. GIRI,
President.

[No. 74/2/1/72-CF.]
J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1972

का० आ० 530(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (छियानवेवां) संशोधन नियम 1972 होगा ।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(1) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "घ, राजस्व और बीमा विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात्:—

"9. सीमाशुल्क (सागर और भूमि) जिसके अन्तर्गत भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934, टैरिफ मूल्यांकन, सीमाशुल्क सहकारिता परिषद् सीमाशुल्क नाम वैसे ही अन्य मामले भी हैं; आयात या निर्यात किए गए माल पर शुल्क; आयातों और निर्यातों पर राजस्व के हित में अधिरोपित प्रतिषेध निर्बंधन; और सीमा-शुल्क टैरिफ के निर्बाचित संबंधी सभी मामले । "; और

(2) "विदेश व्यापार मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 31, 33 और 37 लुप्त कर कर दी जाएंगी ।

[सं० 74/2/1/72-सी० एफ०]

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

जगजीत सिंह मोंगिया, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972